

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखापड, राँची।

दिनांक-10वीं० नवम्बर 2022

सेवा में,

**RENU SINGHANIYA,  
MRITYUNJAYA TOWR,  
W/O PREM KUMAR SINGHANIA, HOUSE NO.-399, WARD NO 28,  
JHOUSAGARI, DEOGHAR 814112**

**विषय:-** मौजा—JHOUNSAGARHI, प्लॉट नं०—301, 302, खाता नं०—569, वार्ड नं०—28, थाना—देवघर, जिला—देवघर में प्रस्तावित व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन—लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित व्यावसायिक भवन की जाँच प्रभारी अग्निशमालय पदाधिकारी, देवघर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक—556 दिनांक—06.11.2022 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :—

1. प्रस्तावित भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु छों—आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ मुख्य स्टेयरकेश लॉबियों में 150mm डाया वाले एक—एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी० लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो—दो अद्द डिलिवरी होज एवं एक—एक अद्द ब्रांच सहित एक—एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय। भवन के चारों तरफ एक—एक यार्ड हाईड्रैण्ड का संस्थापन किया जाय।
5. भवन के बेसमेन्ट सहित सभी व्यावसायिक तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो एवं राईजर एवं स्प्रिंकलर के लिए अलग—अलग पंपिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाय।
6. भवन के सभी व्यावसायिक तलों को Smoke Detection System से सुरक्षित किया जाय।
7. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 1620 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. 900 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. 180 Lpm क्षमता वाले जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
11. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
12. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्षमता वाले रहेंगे।
13. उपर्युक्त भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के०जी० से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
14. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
15. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।

16. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
17. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
18. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
19. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय एवं मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
20. भवन के प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी फायर चेकडोर का संस्थापन कराया जाय।
21. बिजली के मेन स्वीच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
22. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
23. भवन में एक ही सीढ़ी रहने के कारण एक और अलग से सीढ़ी का निर्माण कराया जाय। दोनों सीढ़ी होने के पश्चात् ही संबंधित भवन को अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
24. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
25. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवनों में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शापथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
26. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात् हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
27. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
28. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN  
RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND  
DISASTER MANAGEMENT,  
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3c  
c4ac5ffdd851f54a7, postalCode=-834002, st=Jharkhand,  
serialNumber=19585870e67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f  
3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2022.11.10 14:28:40 +05'30'

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।